राष्ट्रीय जलमार्ग (पश्चिमी तट नहर तथा चंपकरा और उद्योगमंडल नहरों का कोल्लम-कोट्टपुरम खंड) अधिनियम, 1992

(1992 का अधिनियम संख्यांक 25)

[18 अगस्त, 1992]

पश्चिमी तट नहर तथा चंपकरा और उद्योगमंडल नहरों के कोल्लम-कोट्टपुरम खंड की राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषणा का उपबंध करने और उक्त जलमार्ग पर पोत परिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिए उक्त खंड तथा नहरों के विनियमन और विकास का भी तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय जलमार्ग (पश्चिमी तट नहर तथा चंपकरा और उद्योगमंडल नहरों का कोल्लम-कोट्टपुरम खंड) अधिनियम, 1992 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. पश्चिमी तट नहर तथा चंपकरा और उद्योगमंडल नहरों के कोल्लम-कोट्टपुरम खंड की राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषणा—पश्चिमी तट नहर तथा चंपकरा और उद्योगमंडल नहरों के कोल्लम-कोट्टपुरम खंड को, जिसकी सीमाएं अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाता है ।

3. पश्चिमी तट नहर तथा चंपकरा और उद्योगमंडल नहरों के कोल्लम-कोट्टपुरम खंड के कतिपय प्रयोजनों के लिए संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा—यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ राष्ट्रीय जलमार्ग पर पोत परिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिए पश्चिमी तट नहर तथा चंपकरा और उद्योगमंडल नहरों के कोल्लम-कोट्टपुरम खंड के विनियमन और विकास को, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) में उपबंधित विस्तार तक, अपने नियंत्रण में ले ।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

राष्ट्रीय जलमार्ग (पश्चिमी तट नहर तथा चंपकरा और उद्योगमंडल नहरों के कोल्लम-कोट्टपुरम खंड) की सीमाएं

पश्चिमी तट नहर की उत्तरी सीमा, कोट्टपुरम सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग 17) पुल के, जो मलियंकरा और वलियापणिकन तुरुत्त को जोड़ता है, समानान्तर परियार नदी के आर-पार, प्रवाह के विरुद्ध 1.0 किलोमीटर की दूरी पर, खींची गई रेखा होगी, और दक्षिणी सीमा कोल्लम जेटी के दक्षिण में 100 मीटर की दूरी पर अष्टमुडी कायल के आर-पार खींची गई रेखा होगी ।

चंपकरा नहर पशचिमी तट नहर के साथ के संगम से प्रारंभ होती है और फर्टिलाईजर्स एंड कैमिकल्स ट्रांवनकोर लिमिटेड, नौका द्रोणी के निकट रेल पुल पर (कोचीन आयल रिफाइनरी की रेल साइडिंग) समाप्त होती है ।

उद्योगमंडल नहर पशचिमी तट नहर के साथ के संगम से प्रारंभ होती है और पडलम सड़क पुल (एलूर-एडयार) पर समाप्त होती है ।

———